अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर, प्रशासन तथा विभाग में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने के लिये उत्तरदायी हैं । प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान एवं छः अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान तथा वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता की जाती है । अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियन्ताओं के नेतृत्व वाले नौ वृत्तों का नियन्त्रण करते हैं ।

49 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों से खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये एवं राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण के लिये उत्तरदायी हैं । विभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) हैं ।

7.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभागीय क्रियाकलापों को उपयुक्त कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी ढंग से किये जाने तथा राजस्व संग्रहण न करने, कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने के अतिरिक्त विभिन्न अभिलेखों और पंजिकाओं का उचित एवं शुद्धता से संधारण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण तंत्र है ।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से लंबित थी । आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, प्रणाली में कमजोरी वाले क्षेत्रों से अनभिज्ञ थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई । यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से लगातार ध्यान में लाया जा रहा है । वर्ष 2016-17 के दौरान 129 इकाइयों में से एक भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गयी ।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और निदेशालय पेट्रोलियम की 127 इकाइयों में से 53 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गयी मापक जांच में 2,112 प्रकरणों में राशि ₹ 285.56 करोड़ के राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर अनुच्छेद		1	49.68
2	अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की अवसूली/कम वसूली		419	126.68
3	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		440	61.10
4	शास्ति/ब्याज का अनारोपण		251	3.87
5	प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव		37	38.98
6	पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली		185	1.71
7	अन्य अनियमिततायें	राजस्व	753	3.22
		व्यय	26	0.32
योग			**2,112**	**285.56**

वर्ष 2016-17 के दौरान, विभाग ने 2,653 प्रकरणों में ₹ 28.60 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिसमें से 533 प्रकरण राशि ₹ 10.98 करोड़ वर्ष 2016-17 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने 1,806 प्रकरणों में ₹ 9.60 करोड़ वसूल किये, जिसमें से 41 प्रकरण राशि ₹ 0.43 करोड़ चालू वर्ष के तथा शेष पूर्व वर्षों के थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने सात प्रकरण स्वीकार किये तथा संपूर्ण राशि ₹ 52.03 लाख वसूल किये। इन प्रकरणों पर इस प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गयी है।

'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद राशि ₹ 49.68 करोड़ एवं कुछ निदर्शी प्रकरण राशि ₹ 1.88 करोड़ पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

7.4 अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

7.4.1 परिचय

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनयम, 1957 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अप्रधान खनिजों के संबंध में खदान अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों तथा अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 बनाये । खनन पट्टों के अतिरिक्त खनिजों का उत्खनन एवं हटाया जाना, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी अल्पावधि अनुमति-पत्रों के माध्यम से किया जा सकता है ।

अल्पावधि अनुमति-पत्रः अल्पावधि अनुमति-पत्र एक निर्दिष्ट अवधि (चार माह तक) के भीतर तथा निर्दिष्ट क्षेत्र से 500 मैट्रिक टन तक की निर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन एवं हटाये जाने हेतु दिये जाते हैं । खनिज जैसे कि साधारण-मिट्टी, चुनाई पत्थर, बजरी, मुर्रम, ग्रेवल, गिट्टी, इत्यादि के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के अन्तर्गत अल्पावधि अनुमति-पत्र दिये जा सकते हैं ।

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/राजकीय उपक्रमों के लिये कार्यरत निर्माण ठेकेदारों को निर्माण विभाग द्वारा आवंटित कार्यो के निष्पादन के लिये संबंधित निर्माण विभाग[1] की सिफारिशों पर 500 मैट्रिक टन से अधिक खनिज के लिये तथा चार माह से अधिक अवधि के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्र दिये जा सकते है ।

ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रः राज्य सरकार ने 10 जून 1994 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के अन्तर्गत ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित की । नियम 63-बी में ईंट-मिट्टी तथा साधारण-मिट्टी के समीपस्थ भू-तल से डेढ मीटर गहराई तक उत्खनन की भी अनुमति दी जावेगी परंतु उत्खनित खनिज का निस्तारण केवल संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियन्ता से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकेगा ।

7.4.2 अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये कार्यपद्धति

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों/राजकीय उपक्रमों के ठेकेदारों द्वारा कार्य के निष्पादन में उपयोग लिये जाने वाले खनिजों पर अधिशुल्क के आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित की । संबंधित निर्माण विभाग के लिये कार्य के प्रत्येक कार्य आदेश तथा अनुसूची-'जी' [2] की एक प्रति आवंटित कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों (घन मीटर या मैट्रिक टन) के विवरण सहित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था ।

---

[1] निर्माण विभाग जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास न्यास, आवासन मण्डल तथा विकास प्राधिकरण इत्यादि हैं ।

[2] यह संविदा दस्तावेज में सम्मिलित मात्राओं तथा मूल्यों की एक अनुसूची है ।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के लिये कार्य के निष्पादन से पूर्व संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को निम्नलिखित विकल्पों में से एक मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था:

- संबंधित निर्माण विभाग द्वारा सतत् बिलों से अधिशुल्क की कटौती किया जाना (विकल्प 'ए')।
- अल्पावधि अनुमति-पत्र को जारी करते समय संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में अग्रिम में अधिशुल्क जमा करे (विकल्प 'बी')।
- अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय करे तथा संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में प्रथम बिल साथ ही साथ अंतिम बिल के स्तर पर निर्धारण के लिये उनके अभिलेख प्रस्तुत करे (विकल्प 'सी')।
- संयुक्त रूप से विकल्प 'बी' तथा 'सी' का उपयोग करे जैसे कि अधिशुल्क का अग्रिम भुगतान करने के पश्चात अपने स्तर पर खनिजों की एक निश्चित मात्रा का उत्खनन करे तथा शेष अपेक्षित मात्रा के लिये अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय करे (विकल्प 'डी')।
- कार्य के निष्पादन के दौरान अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का उपयोग करे। इसके अतिरिक्त अंतिम बिल के भुगतान के समय अधिशुल्क के रूप में एक राशि[3] की कटौती भी की जावे (विकल्प 'ई')।

स्त्रोतः परिपत्र दिनांक 15 नवंबर 2011 तथा 9 जनवरी 2013।

7.4.3 लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं उद्देश्य

विभाग द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि में 'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' की नमूना जांच यह परीक्षण करने हेतु की गयी थी कि क्या अनुमति-पत्र राज्य सरकार या विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, प्रक्रियाओं, आदेशों तथा परिपत्रों के अनुसरण में जारी किये गये थे। विभाग में 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय हैं। इनमें से, विस्तृत जांच के लिये लेखापरीक्षा ने सात खनि अभियंता कार्यालयों[4] का चयन किया। इसके अतिरिक्त, नियमित लेखापरीक्षा में वर्ष 2016-17 के दौरान पाई गई कमियां भी इसमें शामिल की गयी।

लेखापरीक्षा जांच-परिणाम

7.4.4 अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करना

12 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[5] में अल्पावधि अनुमति-पत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गयीः

[3] कार्य की कुल लागत का, सड़क के निर्माण/चौड़ाईकरण, भवन के निर्माण के प्रकरण में तीन प्रतिशत एवं मरम्मत तथा अन्य कार्य के प्रकरण में डेढ़ प्रतिशत।

[4] खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर।

[5] सात चयनित खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तथा पांच नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः खनि अभियंता अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, राजसमन्द-II एवं सहायक खनि अभियंता झालावाड़।

7.4.4.1 अभिलेखों का संधारण

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार संबंधित निर्माण विभाग के लिये कार्यादेश तथा कार्य की अनुसूची-'जी' की एक प्रति कार्य के निष्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले खनिजों के विवरण (घनमीटर या मैट्रिक टन) सहित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार अधिशुल्क की वसूली करता है । तथापि, विभाग ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर अधिशुल्क की वसूली अभिलिखित/निगरानी करने के लिये कोई प्रणाली/तंत्र विकसित नहीं किया था ।

चयनित खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने, तथापि, प्रकट किया कि चार खनि अभियंता कार्यालयों[6] ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों को अभिलिखित करने हेतु पंजिकायें संधारित की थी ।

खनि अभियंता जोधपुर तथा कोटा द्वारा संधारित पंजिकाओं में 5,937 ठेकेदारों के विवरण दर्ज थे जिन्होनें अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान अल्पावधि अनुमति-पत्र के लिये आवेदन किये थे/खनि अभियंता को विकल्प प्रस्तुत किये थे । तथापि, पंजिका में कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि, खनिज उपभोग के विवरण, निर्धारण की तिथि तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से संबंधित कोई विवरण नही था । इन विवरणों के अभाव में खनि अभियंता सही निर्धारण/अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित नही कर सके ।

खनि अभियंता कार्यालय अजमेर तथा भीलवाड़ा में उन ठेकेदारों के विवरण जिन्होनें विकल्प 'सी' प्रस्तुत किये थे, उनकी प्राप्तियों की निगरानी करने के लिये पंजिका में दर्ज नही किये जा रहे थे । खनि अभियंता भीलवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा पंजिका में सभी आवश्यक विवरणों को अभिलिखित करने हेतु आश्वासित किया (जुलाई 2017) ।

शेष तीन खनि अभियंता कार्यालयों[7] में कोई पंजिका संधारित नही की गयी थी । इस प्रकार इन कार्यालयों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी दायी ठेकेदारों से अधिशुल्क की वसूली की गयी थी, ठेकेदारों के विवरण तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प उपलब्ध नही थे ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.4.2 ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण शपथ-पत्र

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 का क्लॉज 2 विनिर्दिष्ट करता है कि निर्माण ठेकेदार के लिये उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक विकल्प मय शपथ-पत्र जिसमें कि वह अधिशुल्क भुगतान के विकल्प का कथन करेगा, प्रस्तुत करना अपेक्षित था ।

[6] अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं कोटा ।
[7] भरतपुर, जयपुर एवं उदयपुर ।

- खनि अभियंता उदयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 96 प्रकरणों में से 90 में निर्माण ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अपूर्ण थे । शपथ-पत्रों में कार्य का नाम, कार्यादेश संख्या इत्यादि अंकित नहीं थे ।

  शेष छः प्रकरणों में शपथ-पत्र खाली पाये गये, यहां तक की ठेकेदारों के हस्ताक्षर भी नही पाये गये परंतु संबंधित खनि अभियंता उदयपुर ने उन्हें स्वीकार किया तथा इन्हें विकल्प 'सी' में माना एवं निर्माण विभाग को तद्नुसार सूचित किया ।

- उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि खनि अभियंता भीलवाड़ा में एक ठेकेदार ने खनिज साधारण-मिट्टी के उत्खनन हेतु अल्पावधि अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन (26 दिसम्बर 2013 तथा 20 फरवरी 2014 के मध्य) किये थे । परंतु खनि अभियंता भीलवाड़ा ने अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी नहीं किया । अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये इन आवेदनों को बिना कोई कारण अभिलिखित किये पत्रावलियों में रखा गया । खनिज की मात्रा जिसके लिये आवेदन किया गया वह 2.40 लाख मैट्रिक टन खनिज साधारण-मिट्टी की थी । अनुमति-पत्रों को जारी नहीं करने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 6 लाख तथा अनुमति-पत्र शुल्क ₹ 1.20 लाख की हानि हुई ।

  यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात खनि अभियंता ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि अनुमति-पत्र जारी नहीं किये गये क्योंकि फर्म ने अन्य स्थानों के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करवाया था । प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनि अभियंता को उसी कार्य विशेष जिसके लिये ठेकेदार ने आवेदन किया था, के लिये ही अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी करने थे । इसके अतिरिक्त, खनि अभियंता ने अपने प्रत्युत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये थे ।

  दो खनि अभियंता कार्यालयों[8] के 220 प्रकरणों में शपथ–पत्र अभिलेखों में नहीं पाये गये ।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि एक पंजिका का संधारण किये जाने के निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है जिसमें अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने तथा उन पर अधिशुल्क का संग्रहण करने से संबंधित सभी आवश्यक विवरण दर्ज हो सकें ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.4.3 विभागों के मध्य समन्वय का अभाव

परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 विनिर्दिष्ट करता है कि यदि निर्माण विभाग ने परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया या कार्य का अंतिम बिल खान विभाग के 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के बिना पारित किया या ठेकेदार ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का उपयोग किया तो उपयोग में लिये गये खनिज का 10 गुणा अधिशुल्क वसूलनीय होगा तथा संबंधित निर्माण विभाग उस राशि को जमा कराने के लिये उत्तरदायी होगा ।

यह पाया गया कि राजस्व रिसाव को रोकने हेतु निर्माण विभागों तथा खान विभाग के मध्य समन्वय का अभाव था, जैसे कि नीचे चर्चा की गई है:

[8] खनि अभियंता कोटा-216 प्रकरण तथा खनि अभियंता उदयपुर-4 प्रकरण ।

- कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड–II, उदयपुर में वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिये संधारित अनुबन्ध पंजिकाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 46 ठेकेदारों ने राशि ₹ 7.71 करोड़ के कार्यों का निष्पादन किया । तथापि, इन ठेकेदारों ने अल्पावधि अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन नहीं किया था । ये कार्य सड़क नवीनीकरण, पैच मरम्मत, भवनों के निर्माण इत्यादि से संबंधित थे जिनमें कार्य निष्पादन के दौरान खनिजों का प्रयोग वांछनीय था । ये ठेकेदार, इसलिये, अधिशुल्क भुगतान के लिये उत्तरदायी थे । अनुबंध पंजिका ने प्रकट किया कि 35 प्रकरणों में, अधिशुल्क की वसूली किये बिना तथा खान विभाग के 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के बिना उन्हें अंतिम बिलों का भुगतान किया गया । शेष 11 प्रकरणों में कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तथा अंतिम बिल का भुगतान पंजिका में अभिलिखित नहीं था ।
- परिपत्र दिनांक 9 जनवरी 2013 के अनुसार विकल्प 'ई' के तहत वर्गीकृत ठेकेदारों द्वारा निर्माण विभाग को एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त शपथ-पत्र की एक प्रति, यह इंगित करते हुये कि उनके द्वारा कार्य के निष्पादन में अवैध रूप से उत्खनित खनिज प्राप्त कर उपयोग नहीं किया जावेगा खान विभाग को पृष्ठांकित की जानी थी । इस विकल्प के अनुसार निर्माण विभाग द्वारा कार्य के अंतिम बिल से अधिशुल्क की कटौती (कार्य की कुल लागत का, सड़क के निर्माण/चौड़ाईकरण, भवन के निर्माण के प्रकरण में तीन प्रतिशत एवं मरम्मत तथा अन्य कार्य के प्रकरण में डेढ़ प्रतिशत) करना तथा इसे खान विभाग में जमा कराना अपेक्षित था ।

  पांच कार्यालयों[9] द्वारा प्रदान की गयी सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 443 ठेकेदार जिन्होंने अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान कार्यों को निष्पादित किया था ने विकल्प 'ई' प्रस्तुत किया था । इस सूचना को संबंधित खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों के साथ प्रतिसत्यापन के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदारों जिन्हें विकल्प 'ई' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, के शपथ-पत्रों की पृष्ठांकित प्रतियों की सूचना ना तो अभिलिखित की गयी थी ना ही संबंधित खण्डों से अधिशुल्क की वसूली एवं जमा के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी ।

  इन अभिलेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन सभी प्रकरणों में अधिशुल्क की कटौती की गयी थी । उपरोक्त तथ्यों ने इंगित किया कि संबंधित निर्माण विभागों एवं खान विभाग के मध्य समन्वय का अभाव था जिसे राजस्व के हित में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.4.4 सिविल कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के बकाया निर्धारण

अधिशुल्क वसूली की प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 में निर्धारित की गयी थी । परिपत्र के अनुसार, अधिशुल्क निर्धारण के लिये ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 'रवन्ना'[10] केवल उसके

[9] जल संसाधन खण्ड, भरतपुर; जल संसाधन खण्ड-I, II, भीलवाडा; सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड-II, उदयपुर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, उदयपुर ।

[10] रवन्ना से तात्पर्य खानों से खनिज को हटाने या निर्गमन हेतु डिलिवरी चालान से है ।

नाम पर होना चाहिये । नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[11] में ठेकेदारों द्वारा अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये प्रस्तुत विकल्पों के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

- उक्त परिपत्र से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विकल्प 'सी' तथा विकल्प 'डी'[12] के प्रकरण में कार्य का प्रथम सतत् बिल केवल उस स्तर तक प्रयुक्त खनिजों के निर्धारण के पश्चात ही पारित किया जा सकता था तथा अंतिम बिल संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात पारित किया जा सकता था ।

  लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 896 प्रकरणों में उनके कार्यादेश में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने की तिथि के अनुसार कार्य अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य पूर्ण हो चुके थे । 811 प्रकरणों में संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा अधिशुल्क का निर्धारण ना तो प्रथम सतत् बिल के स्तर तक किया गया ना ही अंतिम बिल पारित करने के स्तर तक । शेष 85 प्रकरणों में प्रथम सतत् बिल स्तर तक प्रयुक्त खनिजों का तो निर्धारण किया गया परंतु अंतिम बिल स्तर तक प्रयुक्त खनिजों का निर्धारण बकाया था (जुलाई 2017) । यह भी पाया गया कि खनि अभियंताओं ने संबंधित निर्माण विभागों को सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित नहीं किया था कि ठेकेदारों को अंतिम बिल का भुगतान करने से पूर्व ठेकेदार खान विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देवें ।

- परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार ठेकेदार, जिसने विकल्प 'सी' तथा 'डी' प्रस्तुत किया था के लिये ठेकेदार के नाम पर जारी बिल/रवन्ना/अधिशुल्क पर्ची प्रस्तुत करना अपेक्षित था तथा यदि ठेकेदार ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों को प्रयुक्त किया था तो प्रयुक्त खनिज के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूलनीय होगा ।

  14 प्रकरणों[13] में निर्माण ठेकेदारों ने रवन्ना/अधिशुल्क पर्चियां, जो ठेकेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी की गयी थी प्रस्तुत की थी । खनि अभियंताओं ने इस तथ्य के बावजूद कि रवन्ना/अधिशुल्क पर्चियां ठेकेदारों के पक्ष में जारी नहीं की गयी थी इन रवन्नाओं/अधिशुल्क पर्चियों को स्वीकार किया तथा अधिशुल्क का निर्धारण किया । इस उत्खनन को यहां अवैध मानना चाहिये तथा प्रयुक्त खनिजों के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूल किया जाना चाहिये था । अवैध रूप से प्रयुक्त खनिज की कीमत ₹ 20.88 लाख संगणित की गयी ।

  खनि अभियंता उदयपुर ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2017) कि छोटे कार्यों में ठेकेदारों ने बाजार में उपलब्ध स्टॉकिस्ट से खनिजों का क्रय किया था तथा प्रस्तुत किये गये रवन्नाओं/ अधिशुल्क पर्चियों पर स्टॉकिस्ट का नाम था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ना तो स्टॉकिस्ट से खनिजों के क्रय बिल अभिलेखों में उपलब्ध थे ना ही निर्धारण आदेशों में उनका उल्लेख किया गया ।

---

[11] सात चयनित खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तथा दो नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः खनि अभियंता, जैसलमेर तथा सहायक खनि अभियंता, झालावाड़ ।

[12] अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों के संबंध में जो प्राप्त किये गये ।

[13] खनि अभियंता कार्यालयः भरतपुर-2, जोधपुर-5 तथा उदयपुर-7 प्रकरण ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.5 निर्माण ठेकेदारों द्वारा अल्पावधि अनुमति-पत्र के बिना खनिज साधारण-मिट्टी का उपयोग

तटबंधों, सड़कों, रेल्वे, भवनों इत्यादि के निर्माण में भराव एवं समतलीकरण के उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त खनिज साधारण-मिट्टी को भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी 2000 से अप्रधान खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया। चूंकि राज्य सरकार द्वारा खनिज साधारण-मिट्टी का कोई खनन पट्टा अनुदानित नहीं किया गया था, खनिज साधारण-मिट्टी केवल अल्पावधि अनुमति-पत्र के अन्तर्गत अग्रिम अधिशुल्क के भुगतान पर ही प्राप्त की जा सकती थी। ऐसे ठेकेदारों जिन्होने विकल्प 'सी' प्रस्तुत किया था के लिये अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय अपेक्षित था, तत्पश्चात उनके लिये संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं को प्रथम या अन्तिम बिल के स्तर तक, जैसा भी प्रकरण हो निर्धारण के लिये अधिशुल्क के भुगतान से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

- खनि अभियंता भरतपुर तथा जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा पर पाया गया कि 16 निर्माण कार्यों, जहाँ ठेकेदारों ने विकल्प 'सी' प्रस्तुत किये थे, के निष्पादन में अनुसूची-'जी' के अनुसार 2.46 लाख मैट्रिक टन (1.76 लाख घन मीटर) खनिज साधारण-मिट्टी वांछित थी। यह पाया गया कि निर्माण विभागों ने संबंधित खनि अभियंताओं को निर्माण कार्यों में खनिजों के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में खनिज साधारण-मिट्टी के उपयोग का उल्लेख नहीं था। तथापि, अनुसूची-'जी' में कार्य के निष्पादन के लिये खनिज साधारण-मिट्टी की आवश्यकता से संबंधित विवरण शामिल थे। यह इंगित करता था कि खनि अभियंताओं द्वारा अनुसूची-'जी' के अनुसार खनिज के उपयोग को नहीं जांचा गया। ठेकेदारों द्वारा खनिज साधारण-मिट्टी के अवैध रूप से उत्खनन एवं उपयोग किये जा सकने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

  इन कार्यों के अंतिम बिलों को यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा मांगा गया, निर्माण विभागों द्वारा प्रदान नहीं किये गये। अंतिम बिलों के अभाव में कार्यों में प्रयुक्त खनिज की वास्तविक मात्रा, खनिज की कीमत की गणना के लिये सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- खनि अभियंता भीलवाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भीलवाड़ा ने एक सड़क को चौड़ा करने तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य एक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित (अगस्त 2012) किया। खनि अभियंता ने कार्य के निष्पादन में उपयोग किये जाने हेतु अधिशुल्क की वसूली के बिना 2.17 लाख मैट्रिक टन खनिज साधारण-मिट्टी के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी (नवम्बर 2012) कर दिया। ठेकेदार ने केवल अनुमति-पत्र शुल्क जमा किया परंतु अधिशुल्क ₹ 5.41 लाख जमा नहीं किया। तथापि, खनि अभियंता ने अदेय प्रमाण-पत्र जारी (मई 2014) करते समय गलत रूप से अभिलिखित किया कि अधिशुल्क भुगतान

कर दिया गया था। खनि अभियंता की चूक के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 5.41 लाख[14] की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.6 'संचालन की सहमति' में दी गई अनुमति से अधिक मात्रा के अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37टी(1)(i) के प्रावधानानुसार अल्पावधि अनुमति-पत्र का प्रत्येक धारक खनन संक्रियाओं के प्रारंभ से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से 'संचालन की सहमति' प्राप्त करेगा तथा 'संचालन की सहमति' की शर्तों को सख्ती से लागू करेगा।

खनि अभियंता जोधपुर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्य अभियंता, (एनएचडीपी-IVए) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आवंटित एक कार्य के निष्पादन के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को 15 दिसम्बर 2015 से 30 नवम्बर 2018 तक की अवधि के लिये दो लाख मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर के उत्खनन के लिये एक 'संचालन की सहमति' जारी (23 दिसम्बर 2015) की गई। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि खनि अभियंता जोधपुर ने 'संचालन की सहमति' में अनुमत्य दो लाख मैट्रिक टन मात्रा के बजाय ठेकेदार को 2.44 लाख मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर के अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी किये। इस प्रकार, खनि अभियंता ने 'संचालन की सहमति' में अनुमत्य मात्रा से 0.44 लाख मैट्रिक टन अधिक खनिज चुनाई पत्थर के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी किये जो कि अनियमित था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.7 खनिज की कीमत का निर्धारण एवं वसूली नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(1) के प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत जारी अल्पावधि अनुमति-पत्र या किसी अन्य अनुमति में उल्लेखित निबंधनों तथा शर्तों के सिवाय कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त नियम 48(5) के परंतुक के प्रावधानानुसार जहाँ इस प्रकार से निकाले गये खनिज को पहले ही निर्गमित या प्रयुक्त कर लिया गया है, प्राधिकारी खनिज का मूल्य वसूल कर सकेंगे जो कि प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर संगणित किया जावेगा।

खनि अभियंता जैसलमेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर ने खान विभाग को तीन कंपनियों द्वारा विन्ड मिल्स के संस्थापन कार्य के दौरान खनिजों के अवैध उपयोग के संबंध में सूचित किया तथा खनिजों के मूल्य ₹ 28.28 करोड़ को वसूलना प्रस्तावित किया।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के प्रस्ताव की अनुपालना में खनि अभियंता जैसलमेर ने इन कंपनियों को उनके द्वारा निष्पादित विन्ड मिल्स के संस्थापन कार्य की सूचना खनिजों के स्रोत

[14] साधारण-मिट्टी 2,16,515 मैट्रिक टन X ₹ 2.50 (अधिशुल्क दर)।

के विवरण सहित प्रस्तुत करने के लिये नोटिस जारी (जून 2016) किये। इनमें यह उल्लेखित था कि 30 दिवस के भीतर वांछित सूचना का अप्रस्तुतिकरण ₹ 25.61 करोड़ की वसूली के लिये कार्यवाही को आकर्षित करेगा। निष्पादकों ने वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं की (मार्च 2017)। खनि अभियंता जैसलमेर ने ना तो इन कंपनियों द्वारा प्रयुक्त खनिजों की मात्रा की गणना करने के लिये कोई कार्यवाही की ना ही राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के प्रस्ताव अनुसार खनिजों के मूल्य की वसूली की।

खनि अभियंता जैसलमेर कार्यालय में समान कार्यों के निष्पादन हेतु अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये दो कंपनियों (उपरोक्त उल्लेखित कंपनियों के अलावा) द्वारा प्रस्तुत तीन आवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि प्रत्येक विन्ड मिल के लिये 800 मीटर लम्बाई की संपर्क सड़क निर्माण के लिये 1,120 मैट्रिक टन खनिज मुर्रम वांछित था। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय ने, तथापि, उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रत्येक विन्ड मिल हेतु 800 मीटर लम्बाई की संपर्क सड़क निर्माण के लिये खनिजों की वांछित मात्रा के रूप में साधारण-मिट्टी तथा मुर्रम प्रत्येक की 672 मैट्रिक टन गणना की थी। इस प्रकार, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय ने प्रत्येक विन्ड मिल की संपर्क सड़क निर्माण के लिये खनिज मुर्रम की मात्रा 448 मैट्रिक टन से कम गणना की। गणनानुसार राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कम निर्धारित खनिज मुर्रम की अधिशुल्क राशि ₹ 9.86 करोड़ थी। इस प्रकार विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा गणना किये गये ₹ 28.28 करोड़ सहित ₹ 38.14 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.8 सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 ने बीओटी[15] ठेकेदारों सहित निर्माण ठेकेदारों के लिये निम्नलिखित प्रावधान विनिर्दिष्ट किये:

- कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय को ठेकेदार द्वारा वास्तव में उपयोग किये गये खनिजों की मात्रा का विवरण प्रदान करना निर्माण विभाग के लिये आवश्यक था।
- यदि निर्माण विभाग परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करे या ठेकेदार ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का उपयोग किया तो उपयोग किये गये खनिज के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूली योग्य होगा तथा संबंधित निर्माण विभाग उस राशि को जमा कराने हेतु जिम्मेदार होगा।

राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2012 तथा 9 जनवरी 2013 से निर्देशित किया कि बीओटी ठेकेदारों को टोल वसूली प्राधिकार केवल खान विभाग के अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किया जा सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान) जयपुर ने उनके पत्र दिनांक 23 जून 2017 से सूचित किया कि राजस्थान में अप्रैल 2013 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 16,957.52 करोड़ की 33 सड़क निर्माण परियोजनायें निष्पादित की गयी। इनमें से

[15] बीओटी- बिल्ड,ऑपरेट तथा ट्रांसफर।

बीओटी आधार पर ₹ 5,160.76 करोड़ की चार परियोजनायें, तीन चयनित खनि अभियंता कार्यालयों[16] के क्षेत्राधिकार में निष्पादित की गयी । ये चार कार्य जुलाई 2013 तथा दिसम्बर 2015 के मध्य पूर्ण किये गये तथा इन सड़कों पर टोल भी लागू कर दिया गया । यह इंगित करने के लिये अभिलेखों में कुछ नहीं था कि खान विभाग द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र जारी किये गये या कार्य में उपयोग किये गये खनिजों का कोई निर्धारण किया गया ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.5 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों को जारी करना

राज्य सरकार ने खनिज विकास के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के अन्तर्गत ईंट भट्टों द्वारा खनिज ईंट-मिट्टी के उपयोग हेतु ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये प्रक्रिया अधिसूचित (10 जून 1994) की । तद्नुसार, अनुमति-पत्र एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तथा पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये अनुदानित किये जा सकते थे । अनुमति-पत्र की अवधि के दौरान अनुमति-पत्रधारी अनुमत्य मात्रा तक खनिज ईंट-मिट्टी का उत्खनन तथा इसका उपयोग निर्दिष्ट भट्टे पर कर सकता है ।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63-बी के प्रावधानानुसार समीपस्थ भू-तल से डेढ़ मीटर की गहराई तक ईंट-मिट्टी, साधारण-मिट्टी तथा साधारण-क्ले का उत्खनन अनुमत्य किया जावेगा परंतु इस प्रकार उत्खनित ईंट-मिट्टी, साधारण-मिट्टी तथा साधारण-क्ले केवल अधिशुल्क तथा शुल्क के भुगतान पर संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही निस्तारित या उपयोग में ली जावेगी ।

चयनित खनि अभियंता कार्यालयों में ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा पर निम्नलिखित कमियां पायी गयीः

7.4.5.1 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों हेतु आवेदनों का निस्तारण

विभाग द्वारा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के आवेदनों के विवरणों या उनके परिचालन स्थिति को अभिलिखित करने के लिये कोई पंजिका निर्धारित नहीं की गई थी ।

खनि अभियंता जयपुर ने ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के लिये प्राप्त आवेदनों से संबंधित एक पंजिका संधारित की थी । पंजिका के विवरणों के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान 178 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 149 स्वीकृत किये गये तथा 28 अस्वीकृत किये गये । एक आवेदन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी । पंजिका में 28 आवेदनों की अस्वीकृति के कारण अभिलिखित नहीं थे ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.5.2 अनुमति-पत्र शुल्क की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(4) के अनुसार 500 मैट्रिक टन से अधिक खनिज के एक अल्पावधि अनुमति-पत्र के लिये ₹ 200 तथा प्रत्येक अतिरिक्त

[16] खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, जयपुर तथा उदयपुर ।

100 मैट्रिक टन या उसके भाग के लिये ₹ 50 की दर से अनुमति-पत्र शुल्क भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

तीन खनि अभियंता कार्यालयों[17] के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 82 प्रकरणों में 8.36 लाख मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी के उत्खनन के लिये अनुमति-पत्र शुल्क ₹ 4.15 लाख की वसूली के बिना ईंट-मिट्टी के उत्खनन के लिये अनुमति जारी की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.15 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा अनुमतियों को जारी करना भी अनियमित था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5.3 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों का अनियमित जारी करना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में अपने आदेश दिनांक 2 अगस्त 2014 में राज्य सरकार को जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल आकार में बहाल करने के लिये निर्देशित किया। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में उत्खनन के लिये कोई अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

खनि अभियन्ता अजमेर में पाया गया कि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र आवेदनों के विवरणों तथा उनकी परिचालन स्थिति को अभिलिखित करने के लिये कोई पंजिका संधारित नहीं की गयी थी। ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र पत्रावलियों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र[18] 'फॉई सागर' झील के जल ग्रहण क्षेत्र में स्वीकृत किया गया था। कार्यालय के क्षेत्र फोरमैन ने अनुमति-पत्र को जारी करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण किया था। तथापि, उसने अपने प्रतिवेदन[19] में जल ग्रहण क्षेत्र के तथ्य के बारे में उल्लेख नहीं किया। फोरमैन द्वारा 2 दिसम्बर 2014 को क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र का क्षेत्र झील के जलग्रहण क्षेत्र में आता था। खनि अभियन्ता ने 20 मार्च 2015 को बकाया देयता के आधारों पर अनुमति-पत्र को निरस्त कर दिया तथा 25 मार्च 2015 को क्षेत्र का कब्जा ले लिया। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड-II, अजमेर ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र का क्षेत्र 'फाई सागर' झील के जलग्रहण क्षेत्र में था। इस बीच ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रधारी ने 11,068 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया था जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के विरूद्ध था।

- खनि अभियन्ता जयपुर के ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 5 मार्च 2009 से प्रभावी एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र (4/2009) 14,700 मैट्रिक टन ईंट-मिट्टी प्रति वर्ष उत्खनन हेतु पांच वर्षों के लिये जारी किया गया था। यह पाया गया कि मार्च 2009 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र के अन्तर्गत क्षेत्र से 73,500 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया गया था।

---

[17] खनि अभियंता कार्यालय : अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा।

[18] ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र संख्या 147/13.2.2014 (9,975 मैट्रिक टन प्रति वर्ष), ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 1960, 1957 जिला अजमेर। अनुमति-पत्रधारी ने 13 फरवरी 2014 से 24 मार्च 2015 के दौरान 11,068 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया।

[19] ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र संख्या 147/13.2.2014 के क्षेत्र का निरीक्षण 12 फरवरी 2014 को किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63-बी के अनुसार 20-09 बीघा[20] के एक खसरा (ग्राम हीरावाला का संख्या 8) के कुल क्षेत्र में से 16-09 बीघा के एक क्षेत्र से समीपस्थ भू-तल से डेढ मीटर गहराई तक कुल 87,364 मैट्रिक टन[21] खनिज ईंट-मिट्टी ही केवल उत्खनित की जा सकती थी।

इसके परिणामस्वरूप नया अनुमति-पत्र केवल 13,864 मैट्रिक टन (87,364 मैट्रिक टन-73,500 मैट्रिक टन) खनिज के उत्खनन के लिये ही जारी किया जा सकता था। संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि उसी क्षेत्र पर 14,700 मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिये एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र (23/2014) जारी (मार्च 2015) किया गया था। इस प्रकार, 836 मैट्रिक टन (14,700 मैट्रिक टन-13,864 मैट्रिक टन) खनिज के उत्खनन के लिये अनुमति अनियमित थी।

यह उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि अनुमति-पत्रधारी ने उसी क्षेत्र से खनिज ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिये पुनः आवेदन किया (मार्च 2016) तथा खनि अभियन्ता द्वारा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र (52/2016) के अन्तर्गत 28 अप्रैल 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिये 14,700 मैट्रिक टन खनिज उत्खनन के लिये अनुमति जारी (अप्रैल 2016) की गयी। इस प्रकार, खनि अभियन्ता ने नियम 63-बी के उल्लंघन में अनुमति-पत्रधारी को अनियमित रूप से 15,536 मैट्रिक टन (836 मैट्रिक टन तथा 14,700 मैट्रिक टन) ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिये अनुमति दी।

खनि अभियन्ता, जयपुर ने प्रत्युत्तर दिया (अप्रैल 2017) कि पूर्व में जारी अनुमति-पत्र खनिज की उपलब्धता के आधार पर थे तथा उस समय गहराई से संबंधित कोई प्रतिबंध लागू नहीं था। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों (23/2014 तथा 52/2016) के जारी करने के समय प्रतिबंध लागू था।

- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(I)(1) ने विनिर्दिष्ट किया कि अल्पावधि अनुमति-पत्र का प्रत्येक धारक अनुमोदित सरलीकृत खनन योजना[22] के अनुसार खनन संक्रियाऐं करेगा।

  खनि अभियन्ता, जयपुर में पाया गया कि एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रधारी (18/2013) ने अपनी अनुमोदित सरलीकृत खनन योजना में उल्लेखित किया कि एक विशेष स्थान, जहाँ से वह खनिज ईंट-मिट्टी का उत्खनन करना चाहता था पर 26,810 मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी उपलब्ध थी जबकि 73,500 मैट्रिक टन[23] खनिज ईंट-मिट्टी की मात्रा के लिये ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र जारी (मई 2013) किया गया था। खनि अभियंता ने वह स्थान/स्त्रोत जहाँ से अनुमति-पत्रधारी द्वारा खनिज ईंट-मिट्टी की शेष 46,690 मैट्रिक टन मात्रा उत्खनित की जा सकती थी स्पष्ट नहीं किया। अनुमति-पत्रधारी ने 31 मार्च 2016 तक 43,979 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया। अनुमति-पत्रधारी ने इस प्रकार, 17,169 मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी उक्त नियम के प्रावधानों के उल्लंघन

---

[20] खनि फोरमैन द्वारा प्रतिवेदित (28 जनवरी 2015) अनुसार 20-09 बीघा में से चार बीघा में ईंट भट्टा निर्मित था।

[21] 16.45 बीघा X 2,529 (एक बीघा में वर्ग मीटर) X 1.5 (मीटर में क्षेत्र की गहराई) X 1.4 (संपरिवर्तन गुणक)।

[22] सरलीकृत खनन योजना से तात्पर्य क्षेत्र में अप्रधान खनिज भण्डारों के विकास के लिये तैयार एक योजना से है।

[23] 14,700 मैट्रिक टन प्रति वर्ष पांच वर्षों की अवधि के लिये 4 अप्रैल 2013 से प्रभावी।

में उत्खनित की । इस प्रकार, खनि अभियंता ने अनियमित रूप से अनुमति-पत्रधारी को ₹ 42.92 लाख[24] कीमत के खनिज को उत्खनन करने की अनुमति दी ।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि विभाग को ईंट-मिट्टी अनुमतियों को जारी करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है तथा सुनिश्चित करे कि विभाग द्वारा भट्टे की क्षमता तथा स्थान, जहाँ से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित किया गया पर खनिज की उपलब्धता को ध्यान में रखने के पश्चात एक गहन जांच के बाद अनुमति-पत्र जारी किये जावें ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.5.4 खनिज ईंट-मिट्टी एवं साधारण-मिट्टी का अवैध उत्खनन

भट्टे की प्रक्रिया के माध्यम से ईंट निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (10 जून 1994) प्रक्रिया के अनुसार भट्टे की वार्षिक खपत क्षमता के आधार पर अधिशुल्क वसूलनीय है । बिना अनुमति भट्टा चालू पाये जाने की दशा में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48[25] के अनुसार अधिशुल्क का 10 गुणा वसूल किया जावेगा । सात खनि अभियंता कार्यालयों[26] में खनिज ईंट-मिट्टी तथा साधारण-मिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट कीः

- खनि अभियंता राजसमंद-II की लेखापरीक्षा के दौरान सूचित किया गया (मार्च 2017) कि 2015-16 के दौरान कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कोई ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र अस्तित्व में नहीं था । तथापि, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद ने सूचित किया (मार्च 2017) कि 263 प्रकरणों (15-ईंट भट्टे तथा 248-*'आवा-कजावा'* [27]) में व्यक्तियों/फर्मों द्वारा ईंटें निर्मित की जा रही थी । राज्य सरकार को अधिशुल्क की हानि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा प्रदान की गई सूचना में ईंट भट्टों/भट्टों की क्षमता नहीं थी । यह विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है जहाँ खनिज ईंट-मिट्टी की एक बड़ी मात्रा अवैध रूप से उत्खनित की जा रही थी ।
- पांच खनि अभियंता कार्यालयों[28] ने 48 प्रकरणों में ईंट भट्टों की वार्षिक खपत क्षमता के बजाय निरीक्षणों के समय मौके पर पायी गयी ईंटों/ईंट-मिट्टी के आधार पर अवैध रूप से उत्खनित खनिज ईंट-मिट्टी की कीमत की वसूली प्रारंभ की । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 10.05 करोड़ की कम मांग कायम हुई । इसके अतिरिक्त दो खनि अभियंता

---

[24] 17,169 मैट्रिक टन X ₹ 25 प्रति मैट्रिक टन (अधिशुल्क की दर) X 10 ।

[25] नियम 48 के प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी अल्पावधि अनुमति-पत्र या किसी अन्य अनुमति के निबन्धनों एवं शर्तों के सिवाय कोई खनन संक्रियाऐं नहीं करेगा । आगे उप-नियम (5) तथा परंतुक के प्रावधानानुसार जहाँ इस प्रकार से निकाला गया खनिज पहले ही प्रयुक्त या निर्गमित किया जा चुका है, प्राधिकारी खनिज का मूल्य वसूल कर सकते हैं जो कि प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबरसंगणित किया जावेगा ।

[26] चार चयनित कार्यालयः भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर एवं उदयपुर तथा तीन नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः अलवर, बीकानेर एवं राजसमंद-II

[27] किसी भी प्रकार की चिमनी का उपयोग किये बिना खुले, अनिरंतर चलने वाले भट्टों में ईंटों/ *केवलू* का पकाया जाना आवा तथा कजावा प्रक्रिया के माध्यम से पकाया गया समझा जावेगा ।

[28] तीन चयनित कार्यालयः भरतपुर, भीलवाड़ा एवं जयपुर तथा दो नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः अलवर एवं बीकानेर ।

कार्यालयों[29] द्वारा 29 प्रकरणों में पंचनामा प्रतिवेदनों में ईंट भट्टे की क्षमता उल्लेखित नहीं की गई। ईंट भट्टे की क्षमता के अभाव में सही मांग की गणना नहीं की जा सकी।

- खनि अभियंता कार्यालय उदयपुर में खनिज ईंट-मिट्टी तथा साधारण-मिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 29 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में शास्ति वसूली गई। सात प्रकरणों में पुलिस विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करवाई गई। तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्टों का आगामी अनुवर्तन या अनुसरण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त पांच प्रकरणों में ना तो वसूली प्रारंभ की गई ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई।

जब यह ध्यान में लाया गया, विभाग ने अलवर तथा बीकानेर के प्रकरणों में कुल ₹ 16.75 लाख की मांग कायम की जिसमें से ₹ 2.08 लाख वसूल किये जा चुके थे। शेष प्रकरणों में अंतिम प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (नवम्बर 2017)।

7.4.5.5 *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित ईंटों पर अधिशुल्क वसूली की कार्यवाही का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 58(बी) के अनुसार कुम्हारों द्वारा *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से पकी ईंटों और *केवलू* के निर्माण के लिए उपयोग की गई क्ले के उत्खनन पर अधिशुल्क के भुगतान से छूट थी। यह नियम संशोधित किया गया (31 दिसम्बर 2012) तथा छूट को केवल कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तनों और *केवलू* के लिए उपयोग की गई क्ले के उत्खनन तक सीमित किया गया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित ईंटों के लिये उपयोग की गई क्ले के उत्खनन पर 1 जनवरी 2013 से अधिशुल्क देय था। सरकार ने एक आदेश जारी (14 फरवरी 2013) कर संशोधित नियम का कार्यान्वयन स्थगित किया। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को संशोधन का अधिशुल्क पर प्रभाव को सूचित करने के लिये कहा गया। तथापि, नियम 28 फरवरी 2017 से पुनः प्रभावी किया गया।

खनि अभियंता भीलवाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला भीलवाड़ा की मांडल तहसील में 34 भट्टों में *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से ईंटें निर्मित की जा रही थी। संशोधित नियम के कार्यान्वयन पर स्थगन के कारण खनि अभियंता द्वारा अधिशुल्क की कोई वसूली नहीं की जा सकी। खनि अभियन्ता ने अन्य तहसीलों में भट्टों की संख्या, जहाँ *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से ईंटे निर्मित की जा रही थी सूचित नहीं की। खनि अभियंता के पास इन भट्टों की क्षमता उपलब्ध नहीं थी इसलिये अधिशुल्क राशि की गणना नहीं की जा सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5.6 'संचालन की सहमति' के बिना/'संचालन की सहमति' से अधिक खनिज का उत्खनन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37टी(1)(i) के प्रावधानानुसार अनुमति-पत्र का प्रत्येक धारक खनन संक्रियायें प्रारंभ करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण

[29] जयपुर-12 प्रकरण तथा उदयपुर-17 प्रकरण।

नियंत्रण मंडल से 'संचालन की सहमति' प्राप्त करेगा तथा 'संचालन की सहमति' की शर्तों को सख्ती से लागू करेगा।

खनि अभियंता जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि नौ ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के दौरान) में 'संचालन की सहमतियां' अभिलेखों में नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त तीन खनि अभियंता कार्यालयों[30] के नौ प्रकरणों में ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रधारियों ने 'संचालन की सहमतियों' में अनुमत्य मात्रा से 1.45 लाख मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी का अधिक उत्खनन किया था। 'संचालन की सहमतियों' में अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा के अनुमति-पत्रों का जारी करना गलत था तथा विभाग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी प्रथा रोकी जावे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.6 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि की अवसूली/कम वसूली

जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii) के प्रावधानानुसार अनुमति-पत्रधारियों द्वारा अप्रधान खनिजों के लिये भुगतान की गयी अधिशुल्क राशि का 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इसे ट्रस्ट के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था। यह नियम 12 जनवरी 2015 से प्रभावी था ।

- खनि अभियंता जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि फरवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान खनिज ईंट-मिट्टी पर ₹ 7.14 करोड़ का अधिशुल्क वसूल किया गया परंतु अनुमति-पत्रधारियों द्वारा केवल ₹ 14.97 लाख जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि ₹ 56.45 लाख की कम वसूली हुई।
- खनि अभियंता अजमेर तथा जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 20 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान खनिज साधारण-मिट्टी के लिये 94 अल्पावधि अनुमति-पत्र (खनि अभियंता अजमेर-14 प्रकरण एवं खनि अभियंता जयपुर-80 प्रकरण) जारी किये गये तथा अनुमति-पत्रधारियों द्वारा ₹ 1.20 करोड़ अधिशुल्क का भुगतान किया गया परंतु जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि ₹ 11.96 लाख ना तो अनुमति-पत्रधारियों द्वारा भुगतान की गयी ना ही विभाग द्वारा मांगी गई।

  ध्यान मे लाये जाने पर खनि अभियंता जयपुर ने प्रत्युत्तर दिया (अप्रैल 2017) कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की देय राशि वसूल कर ली जावेगी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

[30] अजमेर, भरतपुर तथा जयपुर।

7.4.7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा पंजिकाओं का संधारण नहीं करने/संधारित पंजिकाओं में वांछित सूचना के अभाव के कारण खान विभाग, निर्माण विभागों द्वारा अधिशुल्क की वसूली की निगरानी नहीं कर सका। विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप खान विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के बिना ठेकेदारों को अंतिम बिलों का भुगतान हुआ एवं, इसलिये, निर्माण कार्यों के निष्पादन में उपयोग में लिये गये खनिजों के अधिशुल्क की वसूली को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। संबंधित खनि अभियंता कार्यालयों ने निर्माण विभागों को प्रक्रिया के अनुसरण हेतु प्रेरित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अल्पावधि अनुमति-पत्रों के प्रकरणों में अधिशुल्क के निर्धारण का अभाव रहा। कार्यों की अनुसूची-'जी' की उपयुक्त संवीक्षा के अभाव में खनि अभियंता खनिज साधारण-मिट्टी की आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं कर सके और जिसके कारण खनिज के अनाधिकृत उपयोग यदि कोई हो, को नहीं रोक सके। ऐसे प्रकरण भी पाये गये जहाँ ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के आवेदनों को, बिना कारणों को अभिलिखित किये अस्वीकृत किया गया। खनि अभियंताओं ने उन मात्राओं के लिये अनुमति-पत्र जारी किये थे जो क्षेत्रों में उपलब्ध/'संचालन की सहमतियों' में अनुमत्य मात्राओं से अधिक थी। विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप फरवरी 2013 से फरवरी 2017 तक की अवधि के लिये *'आवा-कजावा'* के माध्यम से निर्मित ईंटों पर अधिशुल्क की वसूली का अभाव रहा। अनुमति-पत्रधारियों द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के लिये राशि का कम भुगतान किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 तथा 1994 की नियम 65ए की प्रचलित अधिसूचना से अप्रधान खनिज जैसे बजरी, ग्रेवल, ईंट-मिट्टी, इत्यादि अल्पावधि अनुमति-पत्रों तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के माध्यम से उत्खनित किये एवं हटाये जा सकते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनिवार्य अभिलेखों को संधारित नहीं किया। विभाग ने अप्रधान खनिजों के उत्खनन, हटाने तथा निपटान की उचित रूप से निगरानी तथा अधिशुल्क के संग्रहण का कुशलतापूर्वक प्रबंध नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान अल्पावधि अनुमति-पत्रों के प्रकरण में ₹ 38.47 करोड़ तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के संबंध में ₹ 10.52 करोड़ अधिशुल्क राशि की वसूली नहीं हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग अल्पावधि अनुमति-पत्रों/ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के निष्पादन की निगरानी करने के लिये सूचना पट्ट (डैशबोर्ड) का उपयोग कर प्रभावी नियंत्रण की स्थापना कर सकता है तथा आगामी अधिशुल्क के संग्रहण का कुशलतापूर्वक प्रबंध कर सकता है।

7.5 ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 32(3) के प्रावधानानुसार अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार[31] द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली राशि नीलामी/ई-नीलामी में या निविदा/ई-निविदा द्वारा निर्धारित की जायेगी। परंतु अधिशुल्क की दर या अनुमति-पत्र शुल्क/अन्य प्रभारों में वृद्धि या कमी की दशा में:

(i) 'अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार' ऐसी वृद्धि अथवा कमी की दिनांक से ठेके की शेष अवधि के लिए वृद्धि अथवा कमी के अनुपात में ठेका राशि, प्रतिभूति राशि तथा गारंटी राशि की बढ़ी अथवा कम राशि के भुगतान करने का दायी होगा;

(ii) 'अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार' निर्धारित सूत्र के अनुसार संगणित ठेका राशि, प्रतिभूति राशि तथा गारंटी राशि की बढ़ी हुई या कम राशि के भुगतान करने का दायी होगा यथा पुनरीक्षित ठेका राशि = {(विद्यमान ठेका राशि + कुल विद्यमान स्थिर भाटक) X नई अधिशुल्क दर/विद्यमान अधिशुल्क दर – कुल विद्यमान स्थिर भाटक}।

इसके अतिरिक्त, नियम 37(यू)(11) के अनुसार खनन पट्टों के प्रकरण में जहाँ अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका दिया गया है, पर्यावरण प्रबंधन कोष के लिए अंशदान ठेकेदार के माध्यम से अधिशुल्क के साथ वसूल किया जावेगा।

7.5.1 राज्य सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना से खनिज बजरी की अधिशुल्क दर ₹ 20 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 30 प्रति मैट्रिक टन[32], खनिज मुर्रम की अधिशुल्क दर ₹ 18 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 25 प्रति मैट्रिक टन तथा खनिज चूना कंकर की अधिशुल्क दर ₹ 15 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 20 प्रति मैट्रिक टन पुनरीक्षित की।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (जनवरी 2017) कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए एक 'अधिशुल्क संग्रहण सह अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका' एक ठेकेदार को ₹ 29.39 करोड़[33] प्रति वर्ष पर स्वीकृत किया (फरवरी 2014)। ठेका[34] प्रधान खनिज पट्टों[35] के अधिभार से प्राप्त खनिज बजरी, मुर्रम तथा कंकर पर अधिशुल्क एवं अनुमति-पत्र शुल्क एवं अप्रधान खनिज पट्टों से बजरी पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिए था।

खनिज बजरी, मुर्रम तथा कंकर के लिए अधिशुल्क दरें 5 अगस्त 2014 को पुनरीक्षित की गई। इस प्रकार, ठेका राशि को भी बढ़ाया जाना अपेक्षित था। खनि अभियन्ता बीकानेर ने आदेश दिनांक 8 अगस्त 2014 से ठेका राशि को ₹ 35.52 करोड़ पर पुनरीक्षित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ठेका राशि का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण प्रकट हुआ जिसकी चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेद में की गई है:

ठेका राशि में अधिशुल्क, अनुमति-पत्र शुल्क और पर्यावरण प्रबंधन कोष समाविष्ट था। अनुमति-पत्र शुल्क ठेका राशि के 33 प्रतिशत के बराबर था। पुनरीक्षित ठेका राशि तक आने

---

[31] अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार, एक ठेकेदार है जो एक एकमुश्त राशि के भुगतान पर एक निश्चित अवधि के लिए अधिशुल्क संग्रहण हेतु प्राधिकृत है।

[32] बीकानेर के संदर्भ में।

[33] ठेका राशि में अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, अनुमति-पत्र शुल्क के ₹ 23.51 करोड़ तथा पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि के ₹ 5.88 करोड़ शामिल थे।

[34] ठेके का क्षेत्र बीकानेर (शहरी सीमाओं को छोड़कर) तहसील नोखा, लुणकरनसर तथा कोलायत का राजस्व क्षेत्र था।

[35] प्रधान खनिज क्ले जिसे भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 से अप्रधान खनिज अधिसूचित किया गया।

के लिए, ठेके की कुल राशि से पर्यावरण प्रबंधन कोष[36] ₹ 5.88 करोड़ को सबसे पहले घटाया जाना अपेक्षित था । यह नहीं किया गया इसके बजाय अनुमति-पत्र शुल्क घटाये जाने के पश्चात इसे घटाया गया । इसके परिणामस्वरूप 5 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ठेका राशि ₹ 1.37 करोड़ का ***परिशिष्ट-I*** में दिये गये विवरणानुसार कम पुनरीक्षण हुआ ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2017) । सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (सितंबर 2017) कि राशि की वसूली के लिए मांग पत्र जारी (जून 2017) किया गया था जिसके विरूद्ध ठेकेदार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक सिविल रिट याचिका दायर की थी ।

7.5.2 राज्य सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना से खनिज ग्रेनाइट (70 सेंटीमीटर से अधिक किसी भी आयाम का ब्लॉक) की अधिशुल्क दर ₹ 175 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 235 प्रति मैट्रिक टन और खनिज ग्रेनाइट (ब्लाक जिसका आयाम 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो यथा खण्डा) की अधिशुल्क दर ₹ 65 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 90 प्रति मैट्रिक टन पुनरीक्षित की । खनिज ग्रेनाइट (70 सेंटीमीटर से अधिक किसी भी आयाम का ब्लॉक) की बढी हुई अधिशुल्क दर 26 अगस्त 2014 को घटा कर ₹ 215 प्रति मैट्रिक टन कर दी गई । राज्य सरकार की 9 मार्च 2010 की अधिसूचना के अनुसार खनिज ग्रेनाइट की स्थिर भाटक[37] की दर ₹ 40 प्रति 10 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये थी ।

कार्यालय खनि अभियन्ता, जैसलमेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (मार्च 2017) कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका ₹ 4.59 करोड़ प्रतिवर्ष पर एक ठेकेदार को स्वीकृत किया गया (मार्च 2014) । ठेका[38] खनिज ग्रेनाइट पर अधिक अधिशुल्क के संग्रहण के लिए था ।

खनिज ग्रेनाइट के लिए अधिशुल्क दर 5 अगस्त 2014 को पुनरीक्षित की गयी तथा तदनुसार ठेका राशि में भी वृद्धि की जानी अपेक्षित थी । खनि अभियन्ता जैसलमेर ने क्रमशः आदेश दिनांक 13 अगस्त 2014 तथा 28 अगस्त 2014 से ठेका राशि ₹ 6.30 करोड़ प्रति वर्ष (5 अगस्त 2014 से प्रभावी) तथा ₹ 5.74 करोड़ प्रति वर्ष (26 अगस्त 2014 से प्रभावी) पर पुनरीक्षित की । यह पाया गया कि खनि अभियन्ता द्वारा ठेका राशि में दोनो अवसरों पर किया गया पुनरीक्षण त्रुटिपूर्ण था । खनि अभियन्ता ने स्थिर भाटक की गणना में गणितीय त्रुटि के कारण सूत्र में गलत रुप से स्थिर भाटक ₹ 0.64 करोड़ को जोड़ दिया । जबकि वास्तविक स्थिर भाटक ₹ 1.26 करोड़ था । इसके परिणामस्वरूप ठेका राशि का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण तथा उसके कारण ₹ 24.39 लाख की कम वसूली हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2017) । सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं प्रत्युत्तर दिया (जून 2017) कि ठेकेदार को राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया था (मई 2017) । आगे यह भी कहा गया (सितंबर 2017) कि राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी ।

---

[36] पर्यावरण प्रबंधन कोष की दर अपरिवर्तित रही ।

[37] स्थिर भाटक से तात्पर्य खनन पट्टे के लिए भुगतान योग्य न्यूनतम प्रत्याभूत राशि से है ।

[38] ठेके का क्षेत्र जिला जैसलमेर तथा जिला बाड़मेर (तहसील सिवाना को छोड़कर) का राजस्व क्षेत्र था ।

7.6 ब्याज की मांग कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33डी(2) सपठित नियम 37(ए)(xvii) के प्रावधानानुसार वार्षिक ठेका राशि की मासिक/त्रैमासिक किस्त नियत तिथि से पूर्व अग्रिम में भुगतान की जावेगी । नियत तिथि तक मासिक/त्रैमासिक किस्त जमा नहीं किये जाने कि दशा में भुगतान न की गई राशि पर नियत तिथि से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में दिनांक 19 जून 2012 की अधिसूचना से नियम 37टी(5) जोड़ा गया, के प्रावधानानुसार प्रत्येक पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी खनिज के निर्गमन पर पर्यावरण प्रबन्धन कोष में अंशदान जमा करेगा । इसके अतिरिक्त, नियम 37(यू)(11) (जनवरी 2013) के अनुसार खनन पट्टों के प्रकरण में जहाँ अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका दिया गया है, पर्यावरण प्रबंधन कोष के लिए अंशदान, ठेकेदार के माध्यम से अधिशुल्क के साथ वसूल किया जायेगा ।

खनि अभियन्ता, जयपुर के अभिलेखों[39] की नमूना जांच के दौरान, पाया गया (अगस्त 2016) कि सात अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों में ठेकेदारों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि ₹ 2.16 करोड़ संग्रहित की गयी परंतु 40 दिवसों तथा 511 दिवसों की सीमा के विलम्ब से जमा करायी गयी । तथापि, खनि अभियन्ता ने ठेकेदारों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कोष के विलम्बित भुगतानों पर ₹ 27.09 लाख के ब्याज की मांग कायम नहीं की ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2017) । सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (सितंबर 2017) कि दो प्रकरणों में ₹ 3.36 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष पांच प्रकरणों में ब्याज की वसूली के लिए मांग पत्र पुनः जारी किये गये थे (अगस्त 2017) ।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांकः 17 फरवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 20 फरवरी 2018

[39] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों की मांग पंजिकायें ।